



भारत 2023 INDIA



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

प्रशासन परिपत्र संख्या: 05/2023

ADMINISTRATION CIRCULAR NO. 05/2023

विषय : - केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2021- सी सी एस(एन पी एस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 1 तथा 2 में विकल्प के चुनाव की सूचना- के संबंध में।

Sub: - **Central Civil Services (Implementation of National Pension Scheme) Rules, 2021-Seeking options in the prescribed Form 1&2 under the Rule 10 of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021- regarding.**

सी सी एस(एन पी एस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10(1) के अनुसार ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तथा जिन पर नई पेंशन प्रणाली लागू है वे उनकी मृत्यु अथवा अपंगता के कारण सेवा से निर्गमन (बोर्डिंग आउट) अथवा अशक्तता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में, इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारीको प्रपत्र-1 में चुने गए विकल्प के साथ-साथ प्रपत्र-2 में परिवार का विवरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

As per Rule 10(1) of CCS (implementation of NPS) Rules, 2021, Government servant, who are already in Government service and are covered by the National Pension System, shall exercise option for availing benefits under the National Pension System or under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules, 1939 in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation as soon as possible after the notification of these rules. The Government servant shall along with the option in Form 1 also submit the details of family in Form 2 to the Head of Office.

इसी के आधार पर प्रशासनिक परिपत्र क्रमांक 12/2021, दिनांक 29.06.2021 जारी किया गया था। कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा पी ए ओ को फॉर्म 2 जमा करने के बाद फॉर्म 2 में उल्लिखित परिवार के सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सी आर ए) को जमा किया जाना अनिवार्य है।

On the basis of the same, Administrative Circular no 12/2021 dated 29.06.2021 was issued. On further submission of the collected form 2 from the employees to the PAO, it is been informed that the copies of the birth certificates of the family members mentioned in Form 2 are mandatory for onward submission to Central Record Keeping Agency (CRA).

I/1168401/2023

अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी एन पी एस के लाभार्थी अधिकारियों/कर्मचारियों को फॉर्म 2 में उल्लिखित **परिवार के सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र की 3 प्रतियों** को अभिलेखित(रिकॉर्ड) करने तथा सी आर ए को आगे भेजने के लिए 30.06.2023 के पूर्व जमा करना होगा। यदि जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो उनके जन्म की तिथि को दर्शाता हुआ कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। **परिवार के नाबालिक सदस्यों के लिए केवल जन्म प्रमाणपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे तथा अन्य कोई भी दस्तावेज अस्वीकार्य होगा।**

It is therefore, requested that all officers/officials covered under NPS to submit **3 copies of birth certificates of the family members** mentioned in Form 2 before 30.06.2023, for record and onward submission to CRA. If birth certificate is not available, any other document showing date of birth may be submitted. **For minors, only birth certificate will be accepted and no other document will be accepted.**

भवदीय Yours faithfully

शुभा चंद्रन Subha Chandran
सहायक आयुक्त (प्रशासन)
Asst. Commissioner of Customs (Admn)

संलग्न Encl: यथोपरि as above

प्रतिलिपि Copy to:

सभी अधिकारी/ सभी अनुभाग/ सभी कर्मचारी संघ/ सूचना पट्ट/ इ डी आई(वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)
All Officers/ All Sections/ All Staff Associations/ Notice Boards/ EDI (for uploading in Website)